दिनॉक 28.01.2016 को सचिवालय परिसर स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना) की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक 28.01.2016 को सचिवालय परिसर स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रीमती मनीषा पवांर, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन की उपस्थिति में डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना) की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

1. विभाग की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ करते हुए संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज द्वारा उत्तराखण्ड में पंचायतों की स्थिति के सम्बन्ध में मूलभूत जानकारियों से अवगत कराया गया, जिसमें विशेष रूप से 1134 पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों, में पंचायत भवनों के निर्माणार्थ केन्द्रपोषित येाजना में व्यवस्था किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अब तक शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों, एवं दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया।

2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2015–16 हेतु चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ड्राफ्ट प्लान बनाये जाने की अद्यतन स्थिति के विषय में की गयी पृच्छा के क्रम में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड की तत्समय 7954 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 7953 ग्राम पंचायतों की (जनपद स्तर से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार) दिनॉक 03.12.2015 तक राज्य की कुल 7950 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015–16 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत ड्राफ्ट प्लान के निर्माण हेतु खुली बैठकों का आयोजन सम्पन्न करते हेतु 7149 ग्राम पंचायतो में ड्राफ्ट प्लान भी निर्मित किया जा चुका है तथा निर्मित प्लान के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा आतिथि तक रू0 101.63 करोड़ के सापेक्ष रू0 44.48 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थिति विश्लेषण के अंतर्गत मूल आधारभूत सेवाओं, सामाजिक विकास तथा आजिवका के क्षेत्र में आवश्यकता आंकलन हेतु भिन्न प्रारूप एवं टैम्पलेटस तैयार किया जाना उचित होगा। उक्त सुझाव के क्रम में प्रमुख सचिव महोदया द्वारा इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि तदनुसार रिचैक कर टैम्पलेटस में संशोधन किया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायतों में स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट में प्रयुक्त पी0आर0ए0 तकनीक यथा– संसाधन/सामाजिक मानचित्रीकरण का दस्तावेजी प्रमाण मय फोटोग्राफ तैयार किया जाय। स्थिति विश्लेषण की रिपोर्ट पर तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों के नाम, मूल्यांकनकर्ता के नाम अंकित होंगे।

3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अब तक संस्थागत प्रबन्ध के विषय में पृच्छा किये जाने पर संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव/आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति (State level Empowered Committee) का गठन किया जा चुका है, जिसमें 14 रेखीय विभागों के सचिव तथा अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, उधमसिंहनगर सदस्य नामित हैं। साथ ही जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय समितियों का भी गठन किया जा चुका है। विभाग द्वारा रेखीय विभागों के साथ दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को एक राज्य स्तरीय सेमिनार/प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा चुका है,

संयुक्त निदेशक
निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून

निदेशक
पंचायतीराज

जिसमें संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया गया था। इसके साथ ही जनपद स्तर पर भी रेखीय विभागों के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। विभाग द्वारा इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु मीडिया प्लान भी तैयार कराया जा रहा है, जिसके लिये सूचना विभाग के माध्यम से रेडियो, टेलीविजन एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से योजना के प्रचार प्रसार की योजना है।

4. प्रमुख सचिव महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि रेखीय विभागों से संसाधनों की सूचना प्राप्त की जाए तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के रूप में गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) को भी सम्मलित किया जाए साथ ही अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतराज संस्थान (UIRD) को निर्देश दिये गये कि वे वर्तमान में जारी टी0ओ0टी कार्यक्रम को संशोधित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द समाप्त करें।

5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों की योजनाओं के निर्माण हेतु क्षमता विकास के लिये विभाग द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में की गयी पृच्छा पर अवगत कराया गया कि आगामी वर्षों की योजनाओं के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों की क्षमता में वृद्धि के लिये विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान में 285 राजकीय अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि गैर सरकारी संगठनों के 139 प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 फरवरी, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसी मध्य, जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में 2 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विकासखण्डों में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर की 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है, जो दिनांक 22 फरवरी, 2016 तक पूर्ण हो जायेंगी। संयुक्त सचिव महोदया द्वारा शासकीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एक साथ कराने पर जोर दिया गया ताकि उनमें टीम भावना विकसित हो सके तथा प्रशिक्षणों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। इस पर प्रमुख सचिव महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपद स्तर पर राजकीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मिलित रूप से एक अथवा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करा लिया जाये प्रशिक्षण के दौरान UIRD से भी Faculty सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जाय। यथासम्भव निदेशालय/मण्डलीय स्तर के रेखीय विभागों के अधिकारियों, जिन्हें प्रशिक्षण दिये जाने का अनुभव हो, का चिन्हांकन करते हुए उनका डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के सफल संचालन हेतु UIRD में क्षमता विकास करा लिया जाय। तद्नुरूप क्लस्टरवार प्रशिक्षणों हेतु तिथियों का पुनर्निर्धारण कर लिया जाये। जिसके क्रम में अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, उधमसिंहनगर द्वारा उक्त प्रशिक्षणों को दिनांक 10 फरवरी, 2016 तक पूर्ण करा लिये जाने का आश्वासन दिया गया।

6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की योजनाओं का मनरेगा व एन. आर. एल. एम. के साथ अभिसरण (Convergence) की प्रकृति के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस आशय का शासनादेश निर्गत किया गया है कि ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनके द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मनरेगा के अन्तर्गत आई पी. पी. ई आदि कार्यक्रमों के लिये संदेश योजनाऐं (perspective plan) तैयार की गयी हैं, ऐसी योजनाओं को युगपितीकरण के माध्यम से डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना में सम्मिलित कर लिया जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून की कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी कई योजनाओं का श्रमांश मनरेगा के साथ युगपितीकरण के माध्यम से पूर्ण किया

जा रहा है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया कि एन0आर.एल.एम. के संघों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षकों के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट विशेषकर आजीविका एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में तैयार करने में सहयोग लिया जा सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षकों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाय। इस संबंध में कार्यवाही एन.आर.एल.एम. द्वारा की जायेगी।

7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षेत्रिय स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों जैसे– ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मनरेगा, जिला पंचायत आदि के सदस्यों का एक समूह बनाकर एक मूवमैंट चार्ट बना दिया जाए कि यह कहॉ– कहॉ और कब–कब उपस्थित मिलेंगे क्योंकि क्षेत्रिय स्तर पर पूर्व में ग्राम पंचायत में जी0पी0डी0पी0 प्लान को तकनीकी रूप से निरंतर क्रियान्वित करने हेतु कोई स्टाफ उपलब्ध नही है। इस संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विकासखण्ड/जनपदों में तैनात तकनीकी मानव संसाधन (अभियंता) की स्थिति का मानचित्रीकरण कर लिया जाय तथा यथा सम्भव प्रत्येक कलस्टर पर परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं प्राकल्लन गठन हेतु कनिष्ठ अभियंताओं की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत 10 प्रतिशत धनराशि से उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कलस्टर में फिक्सड डे अप्रोच तथा तकनीकी अधिकारियों का मूवमेन्ट चार्ट पूर्व निर्धारित किया जाय ताकि ससमय परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके तथा तकनीकी अनुश्रवण भी किया जा सके।

8. ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान की धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु रू0 835.50 लाख की राशि का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है। योजना के संचालन हेतु फिलहाल राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के सापेक्ष अवशेष राशि से उक्त योजना पर व्यय किया जा रहा है, जो सुसंगत मद में धनराशि प्राप्त होने पर समायोजित की जा सकेगी।

9. संयुक्त सचिव महोदया द्वारा बेकन पंचायत के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर अवगत कराया गया कि राज्य सें उत्तराखण्ड की एक ग्राम पंचायत एंव एक ब्लॉक पंचायत का चयन किये जाने हेतु 10 उत्कृष्ठ पंचायतों को पंचायत लर्निंग सेण्टर निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त पंचायतों के चयन के संबंध में चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, पंचायतीराज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को मानकों के अनुरूप पुनः समीक्षा किए जाने के निर्देश दिये गये।

10. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज द्वारा निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत का पर्सपैक्टिव प्लान निर्माण से पूर्व विभिन्न विभागों से नियोजन हेतु आवश्यकता आंकलन कराते हुए Vulnerability Mapping करा ली जाय। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बाल एवं महिला विकास, समाज कल्याण, उद्यान एंव आजीविका के क्षेत्र की सम्भावनाओं, जड़ी बूटी, डेयरी, मत्स्य, पशुपालन आदि को भी सम्मिलित किया जाय तथा साथ ही प्लान बनाने से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिस्थिति का विशलेषण कराते हुए तदनुसार ग्राम सभा आहूत की जाय।

11. जनपदवार ग्राम पंचायत के क्लस्टर/सैक्टर चिन्हित कर Vulnerability Mapping कराते हुए शिशुमृत्यु दर, लिंगानुपात, कुपोषण की स्थिति बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वास्थ्य आजीविका आदि का सैक्टरवार मैपिंग कर लिया जाए। विभागो से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार Vulnerability

Mapping/Vulnerability Acessment, ग्राम पंचायत/कलस्टर की समस्या के चिन्हीकरण के अनुरूप Perspective Plan में शामिल कर लिया जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में रेखीय विभागों से सहयोग लेते समय सैक्टरवार चर्चा कर प्लान का निर्माण किया जाय, न कि योजना आधार पर।

12. उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अप्रैल, 2016 तक कार्य सम्पन्न कराने हेतु समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाये कि शासकीय कर्मियों एवं पंचायत प्रतिनिधि आदि के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण, सहभागी नियोजन हेतु वातावरण सृजन एवं सभी ग्राम सभाओं की बैठक कराकर आगामी वर्षो के वार्षिक योजनाएँ व अन्य वर्षो की संदर्भ योजना (Perspective Plan) अप्रैल, 2016 तक तैयार करायी जाये।

अन्त में सचिव महोदया द्वारा संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(दमयंती दोहरे)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्याः273 /XII(1)-2016-96(01)/2015
देहरादून, दिनंकः09 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार को संयुक्त सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर।
6. मुख्य अधिशासी अधिकारी, एस.आर.एल.एम., उत्तराखण्ड।
7. प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, मनरेगा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव